पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

क्रमांकः- 4883 दिनांकः 27/01/2023

मुख्य परीक्षा 2023 में परीक्षा हेतु आवेदन करते समय आयुक्तायल कॉलेज शिक्षा प्रवेश–नीति की अक्षरशः पालना हेतु

क्षेत्राधिकार में अवस्थित समस्त महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान के पत्रांक 591 दिनांक 20.06.2022 के द्वारा सत्र 2022–23 बाबत जारी प्रवेश नीति की अनुपालना अनुसार ही विधार्थियों के कक्षा/वर्ग में नियमित प्रवेश किये जाने है तथा तदानुसार ही परीक्षा फार्म भराये जाने है।

(A) कक्षा/वर्ग में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या

1 स्नातक कला, वाणिज्य, विज्ञान :– प्रवेश नीति के पृष्ठ संख्या 7 के बिन्दु 2.2 के अनुसार ही न्यूनतम संख्या किसी भी विषय/वर्ग में होनी चाहिए।

2 स्नातकोतर कला, वाणिज्य, विज्ञान :– प्रवेश नीति के पृष्ठ संख्या 10 के बिन्दु 3.2 के अनुसार ही न्यूनतम संख्या किसी भी विषय/वर्ग में होनी चाहिए।

(B) कक्षा/वर्ग में विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या :– स्नातक एवं स्नातकोतर कक्षाओं में अधिकतम संख्या विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय को विषय विशेष में आंवटित सीटों से अधिक नहीं होनी है।

(C) नियमित विद्यार्थियों के स्थानान्तरण प्रकरण :– विद्यार्थियों के स्थानान्तरण प्रकरण प्रवेश नीति के पृष्ठ संख्या 19 के बिन्दु संख्या 5.8 के अनुसार होनी चाहिए।

(D) नियमित विद्यार्थियों के अन्तराल (GAP) प्रकरण :– अन्तराल के पश्चात प्रवेश पृष्ठ संख्या–07 के बिन्दु 2.3 के अनुसार ही होना चाहिए।

1. यदि कोई महाविद्यालय आवंटित विद्यार्थी संख्या से अधिक विद्यार्थियों को नियमित प्रवेश देते है तो अन्य विश्वविद्यालयों की भांति प्रति छात्र रू 10000/– पैनल्टी लगेगी तथा अधिक प्रवेशित विद्यार्थी स्वयंपाठी श्रेणी में शामिल कर दिये जायेंगे।
2. आयुक्तालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम संख्या से कम विद्यार्थियों को यदि किसी कक्षा/वर्ग में नियमित प्रवेश दिया जाता है तो उन्हे भी स्वयंपाठी श्रेणी में शामिल कर दिया जायेगा। जिन विषयो/पाठयक्रमों में स्वयंपाठी श्रेणी की सुविधा उपलब्ध नहीं है उनमें ऐसे न्यून विद्यार्थियों को परीक्षा से अयोग्य माना जायेगा।

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान की प्रवेश नीति 2022–23 के उक्त प्रावधानों का अक्षरशः पालना सुनिश्चित कराए। यदि कोई महाविद्यालय उक्त निर्देशों की अनुपालना नहीं करता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं महाविद्यालय की होगी।

(डॉ. अरिन्दम बासू)
परीक्षा नियंत्रक